राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स कल्याण सुंदरम सेमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य 12 फरवरी, 1996 [न्यायमूर्तिगण के. रामास्वामी और जी.बी. पटनायक]

परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881/ भारतीय दंड संहिता 1860

धारा 138/420 चेक का बाउंस होना- वसूली के लिए तैयार किए गए मुकदमे अापराधिक कार्यवाही शुरू की गई- उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों के निपटारे तक दीवानी मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा दी- आयोजित आपराधिक मामलों का लंबित होना दीवानी मुकदमों के साथ आगे बढ़ाने में बाधा नहीं है- इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया का सिद्धांत सही नहीं है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार-: 1996 की सिविल अपील संख्या 3644।

1994 के एस.बी. सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 209 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 16.11.94 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता, मनोज के. दास और सुश्री नमिता नरूला।

उत्तरदाताओं की ओर से अरुण जेंटली, डी.ए. दवे, भास्कर प्रधान, सुश्री रूबी आहूजा, श्रीमती एम करंजावाला, एसएस खंडूजा, बी.के. सतीजा और वाई. पी. ढींगरा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अपील स्वीकृत की गई।

विशेष अनुमित से यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 16.11.1994 को सिविल पुनरीक्षण संख्या 209/94 में किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से उत्पन्न होती है निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद प्रतिवादी कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 13.4.1969 को एक समझौता किया था। इसके बाद मई और जुलाई 1989 के बीच की तारीखों के तीन पोस्ट डेटेड चेक 6,87,100/- में दिए गए, जिनमें से प्रत्येक बाउंस हो गया। उक्त नोटिस जारी करने के बाद वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। इसके साथ ही 1989 की तीन शिकायतों सीसी नंबर 219, 220 और 254 में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 और धारा 420 आईपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों के निपटान के लंबित रहने तक दीवानी मुकदमा की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह अपील उक्त आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

यह स्थापित कानून है कि आपराधिक मामलों का लंबित रहना दीवानी मुकदमों के साथ आगे बढ़ाने में बाधा नहीं होगा। आपराधिक न्यायालय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से निपटेगा। दूसरी ओर अदालतें शायद ही कभी अपराधिक मामलों पर रोक लगाती है और केवल तभी जब सम्मोहक परिस्थितियों में उनकी शिक्त के प्रयोग की आवश्यकता होती है। हमने अब तक अदालतों द्वारा किसी भी सिविल मुकदमे पर रोक नहीं देखी है। राजस्थान उच न्यायालय इस तरह के आदेश पारित करने के लिए केवल एक अपवाद है। उच न्यायालय ने गलत आधार पर कार्यवाही की, कि आरोपियों से आपराधिक मामले में वह अपने बचाव का खुलासा करने की उम्मीद की जाएगी और उन्हें मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। यह कानून का सही सिद्धांत नहीं है। अन्यथा यह अब कायम नहीं है क्योंकि उनमें से कई ने दीवानी मुकदमे में अपना बचाव तैयार किया है। कानून के सिद्धांत पर हम मानते हैं कि उच न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। लेकिन चूंकि बचाव पक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है इसलिए इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है।

तदानुसार अपील की अनुमित दी जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।